# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

**अपील संख्याः— 508/17 ((RCMS No. 2017/00543) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)**

1. रमेश चन्द पुत्र भूरा
2. सुआ लाल पुत्र भूरा
3. जीतमल पुत्र देवी लाल
4. दिनेश पुत्र देवी लाल
5. संतरा वेवा देवीलाल

जाति बैरवा निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

6. शम्भूलाल पुत्र स्व0 कुन्ज बिहारी लाल जाति ब्राहमण निवासी हनुमान नगर, हाऊसिंग बोर्ड, सवाई माधोपुर जरिये मुख्तयारनामा आम

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील सवाई माधोपुर
2. यू.आई.टी. सवाई माधोपुर जरिये सचिव यू.आई.टी. सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर दिनांक 05.10.2017

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**नि र्ण य** **दिनांकः—18.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 05.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 1723 रकवा 643 बीघा 13 विस्वा बहुत बड़ा रकवा है जिसमें अनेक खातेदार है तथा अनेक प्रकार की भूमि स्थित है किन्तु रेवेन्यू नक्शे में किसी

प्रकार की तरमीम नही हो रही है। प्रार्थीगण के ख0 नं0 1723 में स्थित भूमि में सैटलमेंट द्वारा नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम नही हो रही है। प्रार्थी के ख0 नं0 1723 में स्थित भूमि में सैटलमेन्ट द्वारा नक्शे में तरमीम न होने के कारण मनमाने तरीके से नवीन खसरा नम्बर 2655/3244 रकवा 0.26 है0, 2680 रकवा 0.43 है0 2686 रकवा 0.60 हैक्टेयर बनाये है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी के नवीन ख0 नं0 भू प्रबन्ध विभाग को प्रार्थी के कब्जे के अनुसार बनाने चाहिये थे। भू प्रबन्ध विभाग ने मौका देखे बिना सिवायचक भूमि ख0 नं0 2665/3244 रकवा 0.26 है0 व ख0 नं0 2686 रकवा 0.60 है0 को प्रार्थीगण की खातेदारी में 1723 से बनना बताकर दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण की पूर्व की खातेदारी व कब्जे के अनुसार नवीन ख0 नं0 2681 रकवा 0.39 है0 ख0 नं0 2680 रकवा 0.43 है0, 2682 रकवा 0.09 है0, 2683 रकवा 0.39 है बनने चाहिये लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त 2680, 2681, 2682, 2683 को सिवायचक दर्ज कर दिया। प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त ख0 नं0 पर अपने पिता के समय से काबिज चले आ रहे हैं। अतः ख0 नं0 1723 से बने हाल ख0 नं0 2681, 2682 व 2683 वॉके ग्राम आलनपुर प्रार्थी/अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जावे तथा प्रार्थीगण की खातोदारी में दर्ज ख0 नं0 2665/3244 व 2686 को सिवायचक दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि प्राथीगणों का नवीन खसरा नम्बरों पर कब्जा होने के कारण आपस में विभाजन भी भू प्रबन्ध की प्रक्रिया के बाद करा लिया है इसलिये प्रार्थी प्रार्थना पत्र में चाही गई दादरसी पाने का हकदार नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2016 की कोई विवेचना नही की है। जबकि मौका रिपोर्ट से यह बात बखूबी साबित है कि साबिक ख0 नं0 1723 से हाल ख0 नं0 2681, 2682, 2683 पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है और अपीलान्ट को जो खातेदारी 2665/3244 एवं 2686 भू प्रबन्ध विभाग ने प्रार्थीगण को दी है उस पर उनका कोई कब्जा नही है अपीलान्ट ने जो अनुतोष चाहा है वह अपनी कब्जा शुदा भूमि पर चाहा है। साबिक ख0 नं0 1723 बड़ा खसरा नम्बर है जिसकी मौके पर कोई तरमीम नही थी भू प्रबन्ध विभाग ने तरमीम न होने से मनमाने तरीके से नम्बरों को अलग–अलग दर्ज कर दिया है जबकि भू प्रबन्ध विभाग को मौका कब्जा देकर नम्बर दर्ज करने चाहिये थे। प्रार्थी की उक्त भूमि गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी है तथा राजकीय भूमि जो प्रार्थी के कब्जे की नही है, को प्रार्थी के खाते में दर्ज कर दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जावे।

विद्धान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 2681 2682, 2683 नगर विकास न्यास स0मा0 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। ख0 नं0 2665/3244 व 2686 पर कभी कब्जा होना नही बताया है। किन्तु अपीलान्ट ने बन्दोवस्त के बाद विवादित आराजी का बॅटवारा कर लिया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सं0 2070 से 73 के अनुसार विवादित आराजी ख0 नं0 2665/3244 रकवा 0.26 है0, 2680 रकवा 0.43 है0 व 2686 रकवा 60 है0 कुल किता 3 रकवा 1.29 पर रमेश चन्द, सूवा लाल पिस. भूरा, जीतमल दिनेश चन्द पिसरान देवी लाल, संतरा देवी वेवा देवी लाल जाति बैरवा का नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें पक्षकारों ने बॅटवारा कर लिया है। वॅटवारा के अनुसार ख0 नं0 2686 रकवा 60 है0 पर रमेश चन्द पुत्र भूरा, ख0 नं0 2680 रकवा 0.21 पर जीतमल दिनेश पिसरान देवी लाल, सन्तरा वेवा देवी लाल, ख0 नं0 2680/3355 रकवा 0.22 पर सूवा लाल पुत्र भूरा ख0 नं0 2665/3244 रकवा 0.26 पर रमेश चन्द सुवालाल पिस. भूरा, जीतमल दिनेश चन्द पिस. देवी लाल, सन्तरा वेवा देवी लाल जाति बैरवा दर्ज रिकार्ड है। जबकि तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार ख0 नं0 2665/3244 रकवा 0.26 पर रमेश चन्द वगैरहा काबिज नही होकर ख0 नं0 2683 रकवा 0.26मिन पर कब्जा है। ख0 नं0 2686 रकवा 60 है0 पर रमेश चन्द पुत्र भूरा का कब्जा न होकर ख0 नं0 2681 रकवा 0.39 पर है तथा ख0 नं0 2682 रकवा 0.09 है0 2683मिन रकवा 0.12 पर कब्जा है। मुताविक प्रार्थना पत्र ख0 नं0 2686 रकवा 0.60 है0 2665/3244 रकवा 0.26 है0 पर कभी कब्जा नही रहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कब्जे के अनुसार खातेदारान का नाम अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.10.2017 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 21.03.2016 के अनुसार ख0 नं0 2683 रकवा 0.26मिन नगर विकास न्यास के स्थान पर रमेश चन्द सुवालाल पिसरान भूरा, जीतमल दिनेश चन्द पिसरान देवी लाल, सन्तरा वेवा देवी लाल जाति बैरवा के नाम एवं ख0 नं0 2681 रकवा 0.39 है0 2682 रकवा 0.09 है0, 2683मिन रकवा 0.12 नगर विकास न्यास स0 मा0 के बजाय रमेश चन्द पुत्र भूरा जाति बैरवा के नाम एवं ख0 नं0 2665/3244 रकवा 0.26 है0 2686 रकवा 0.60 है0 पर खातेदारान के बजाय नगर विकास न्यास स0 मा0 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official